प्रेस नोट 02.11.2022

एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक टेम्पो वाहन बरामद–

आज दिनांक 02.11.2022 को थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान बढुआ गोदाम से इमिलियाडीह की तरफ जाने वाले रोड से मोनू साहनी पुत्र रामानन्द साहनी निवासी बडहलगंज जनपद गोरखपुर के कब्जे से चोरी की एक टेम्पो वाहन यूपी 54 एटी 0438 बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त टेम्पो चोरी की सूचना थाना स्थानीय पर वादी सत्यवान भारती पुत्र स्व0 गजाधर निवासी गालीबपुर थाना सरायलखंसी द्वारा दी गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 545/22 धारा 379 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस सम्बन्ध में उक्त पंजीकृत अभियोग में धारा 411 भादवि0 की बढोत्तरी कर अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया।

दो शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 4975 रूपये बरामद–

आज दिनांक 02.11.2022 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर कुण्डा सरखिपुर के पास से सुग्गन राजभर पुत्र महेन्द्र निवासी कस्बा सिपाह थाना मधुबन, साधु उर्फ सुनील पुत्र अमरचन्द्र निवासी सिपाह इब्राहीमाबाद थाना मधुबन जनपद मऊ के कब्जे से चोरी के 4975 रूपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उक्त चोरी की सूचना थाना स्थानीय पर वादी दीपक गुप्ता निवासी कस्बा सीपाह थाना मधुबन द्वारा अपनी दुकान से चोरी के सम्बन्ध में दी गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 442/22 धारा 457,380 भादवि0 का पंजीकृत किया गया था। इस सम्बन्ध में पूर्व में पंजीकृत अभियोग में धारा 411 भादवि0 की बढोत्तरी कर अभियुक्तगण का चालान न्यायालय किया गया।

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 02.11.2022 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान सदर चौक के पास से मु0अ0सं0 493/22 धारा 419,420,467,468,471 भादवि0 में वांछित अभियुक्त मो0 तैयब पुत्र स्व0 हाजी अब्दुल अजीम निवासी कसीमपोखरी थाना कोतवाली जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 25 व्यक्ति तथा एक वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 02.11.2022 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा लालमन, रामेश्वर निवासीगण बहादुरपुर, लालबहादुर, पूजन, रामकेवल निवासीगण जमुनीपुर थाना दोहरीघाट, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा अमरजीत, अभयचन्द्र निवासीगण मऊकुबेर, राकेश, मूकेश निवासीगण मानिकपुर थाना हलधरपुर, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा अनिल साहनी निवासी कोपाकोपड़ा थाना कोपागंज, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मो0 साजिद, अनीश अहमद, मो0 असलम निवासीगण हट्ठीमदारी थाना कोतवाली, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा मनोज, पप्पू, मुसाफिर, राहुल, सुरेश निवासीगण सिगाड़ी, राधेश्याम, संदीप निवासीगण कोठिया, मोतिउर्रहमान निवासी महताबपुर, मंगल चौहान, रामबचन चौहान निवासीगण भातकोल, प्रवीण चौहान, रामसरिख निवासीगण अल्लीपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी तथा थाना कोपागंज पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त सुभम राय पुत्र रामाकान्त निवासी सहरोज थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।